कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 18 | सितंबर 16–30, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–8

मुद्रीकरण – निजी पूंजीवादी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति की लूट

23 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक संपत्ति का "मुद्रीकरण" करने की योजना की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि सरकार को इस योजना से चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये एकत्र होने की उम्मीद है।

इस योजना के तहत बुनियादी ढांचे की संपत्तियों जैसे कि सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कोयला खदानों, बिजली लाइनों, तेल और गैस पाइपलाइनों, दूरसंचार नेटवर्क, खाद्य गोदामों और खेल स्टेडियमों को निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। कंपनियां 30 से 60 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए संपत्ति रखने और उपयोग करने के अधिकार के लिए अग्रिम भुगतान करेंगी। इस अवधि के दौरान पूंजीवादी कंपनियों को निजी लाभ कमाने के लिए संपत्ति का प्रबंधन और विकास करने की पूरी छूट होगी। लीज की अवधि ख़त्म हो जाने के बाद पूंजीवादी कंपनी को उन संपत्तियों को सरकार को वापस करना होगा।

वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि यह निजीकरण नहीं है क्योंकि संपत्ति केवल लीज पर दी जा रही है, बेची नहीं जा रही है। लेकिन संपत्ति को बेचा जाए या लंबी अवधि के लिये लीज पर दिया जाए, यह निजी पूंजीवादी लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्ति को सौंपने की ही योजना है। किसी भी हाल में लोगों को इन संपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा, ताकि निजी कंपनियां लीज के लिये दिये गये पैसों से ज्यादा पैसे कमा सकें।

फिलहाल निजी कंपनियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के तहत 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों को दिया गया है। सरकार को इससे 1–6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। निजी कंपनियां सड़क किनारे होटल और दुकानें खोलकर या संभावित रूप से टोल शुल्क लगाकर भी पैसा कमा सकती हैं।

लगभग 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री रेलगाड़ियों, 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे और 15 रेलवे स्टेडियम और असंख्य रेलवे हाउसिंग कॉलोनियों को 1–2 लाख करोड़ रुपये में निजी कंपनियों को सौंपने की योजना है। निजी कंपनियां रेल किराए और उपयोगकर्ता शुल्क में बढ़ोतरी करके पैसा कमाएंगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और वडोदरा सहित 25 हवाई अड्डों को लीज पर देगा। हवाई अड्डे के मुद्रीकरण से 20,782 करोड़ रुपये मिलेंगे। हवाई अड्डों के कर्मियों की आवासीय कॉलोनियों को भी लीज पर दी जाने वाली संपत्तियों में शामिल किया गया है। जैसा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में हवाई अड्डों के निजीकरण के अनुभव से पता चलता है, वैसे ही इन सभी हवाई अड्डों पर भी उपयोगकर्ता शुल्क बहुत बढ़ जाएगा।

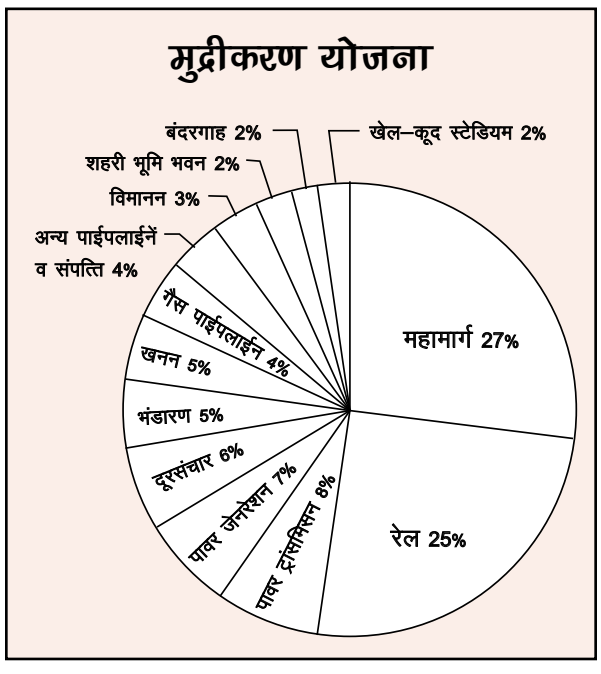

लीज पर दी जाने वाली अन्य संपत्तियों में 28,000 सर्किट किलोमीटर बिजली प्रसार लाइनें, 2.86 लाख किलोमीटर भारत नेट फाइबर, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के 14,917 सिग्नल टावर, 8,154 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम, दो राष्ट्रीय स्टेडियम और दिल्ली की सात आवासीय कॉलोनियां शामिल हैं।

निजी पूंजीपति एक परियोजना को तभी हाथ में लेंगे जब उन्हें उससे मुनाफ़ा कमाने की गारंटी होगी। इसके लिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लीज की फीस कम रखी जाए और निजी कंपनी को जनता से अत्यधिक शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाए। जब कोई कंपनी अपेक्षा से कम मुनाफ़ा कमाती है, तब इस नुक़सान की भरपाई की उम्मीद सरकार से करती है।

इन बुनियादी सुविधाओं की संपत्ति को बनाए रखने में वर्तमान में कार्यरत मज़दूरों को अपनी नौकरी खोने का ख़तरा होगा। निजी कंपनियां उनकी जगह पर ठेका मज़दूरों को रखेंगी जिन्हें बिना सामाजिक सुरक्षा के कम से कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

मुद्रीकरण योजना और कुछ नहीं बल्कि निजीकरण का दूसरा रूप है। मज़दूर वर्ग और लोगों द्वारा इसकी निंदा और विरोध किया जाना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21347

27 सितंबर का 'भारत बंद' हार्दिक समर्थन के योग्य है

मज़दूर एकता कमेटी का बयान 8 सितंबर, 2021

किसान यूनियनों के संयुक्त संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर, 2021 को 'भारत बंद' का आह्वान किया है। पिछले साल इसी दिन हिन्दोस्तान के राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित तीनों किसान–विरोधी कानूनों को मंजूरी दी थी। यह बंद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के 10 महीने पूरे होने का प्रतीक होगा।

25–26 अगस्त को सिंघू बार्डर पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन में 22 विभिन्न राज्यों की किसान यूनियनों के 2,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि हिन्दोस्तान को बड़े निगमों को सौंपा जा रहा है और यह न केवल किसानों, बल्कि मज़दूरों, छात्रों, युवाओं और आदिवासियों की आजीविका को भी प्रभावित करेगा। सम्मेलन ने हाल ही में घोषित मुद्रीकरण योजना सहित सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण और मज़दूर–विरोधी श्रम संहिताओं के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किए। सम्मेलन ने केंद्र सरकार की जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ संघर्ष को तेज़ करने का संकल्प किया।

किसान तीनों किसान–विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, इन कानूनों के परिणामस्वरूप कृषि व्यापार और कृषि वस्तुओं के भंडारण पर हिन्दोस्तानी और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। किसान राज्य से कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से कम क़ीमत पर बेचने के लिए मजबूर न हो। इसके अलावा एम.एस.पी. को उस स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जो किसानों के लिए लाभकारी हो। किसान बिजली संशोधन अधिनियम–2021 को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं, जिससे किसानों की उत्पादन लागत काफी बढ़ जाएगी और वे बर्बाद हो जाएंगे।

किसानों ने चिलचिलाती गर्मी, कड़ाके की ठंड और मानसून की बारिश को दस महीने तक झेला है। इस संघर्ष में 1,000 से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहूती दी है। फिर भी केंद्र सरकार ने उनकी जायज़ मांगों को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया है। उसने आंदोलन को बदनाम करने और किसानों को विभाजित करने के लिए विभिन्न तरीक़ों का इस्तेमाल किया है। सरकार के ये तरीक़े किसानों को आंदोलन करने और मांगें पूरी हो जाने तक आंदोलन को जारी रखने के संकल्प से हिलाने में विफल रहे हैं।

किसान आंदोलन की मांगों को देशभर के मज़दूरों की यूनियनों का हार्दिक समर्थन मिला है।

हमारे देश में जो संघर्ष चल रहा है वह शोषक अल्पसंख्यक और शोषित बहुसंख्यकों के बीच है। एक तरफ टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और अन्य इजारेदार घरानों के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग खड़ा है। दूसरी तरफ मज़दूर, किसान और तमाम मेहनतकश और उत्पीड़ित लोग खड़े हैं।

27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को मज़दूर एकता कमेटी का हार्दिक समर्थन है!

http://hindi.cgpi.org/21312

अंदर पढ़ें

- 11 सितम्बर का आतंकी हमला 2
- करनाल में किसानों पर हुए क्रूर हमले की निंदा 3
- किसानों ने अपने संघर्ष को जारी रखने की शपत ली 3
- रोज़गार और उसकी गुणवत्ता में भारी गिरावट 4
- डिजिटल शिक्षा 5
- हमारे पाठकों से 5
- टमाटर की क़ीमतों में गिरावट से किसानों को भारी नुक़सान 6
- दिल्ली सरकार का आशा मज़दूरों से खोखला वादा 7

11 सितम्बर के आतंकवादी हमलों के बीस साल बाद :

राजकीय आतंकवाद, कब्ज़ाकारी जंग और राष्ट्रीय संप्रभुता के हनन को जायज़ ठहराने के लिए, आतंकवाद साम्राज्यवाद का एक हथकंडा है

11 सितम्बर, 2001 को न्यू यॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दो इमारतों पर दो विमान टकराए थे। एक और विमान वाशिंगटन के पेंटागन से टकराया था। उन आतंकवादी हमलों में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे।

तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान किया था कि वह अल क़ायदा नामक इस्लामी आतंकवादी गिरोह की साज़िश थी, जिसे अफ़ग़ानिस्तान की सरकार का समर्थन प्राप्त था। अमरीकी प्रचार मशीन ने बिना कोई सबूत पेश किये, उस मनगढ़ंत कहानी को फैलाया। उसी झूठे प्रचार के आधार पर अमरीकी और नाटो की सेनाओं द्वारा अफ़ग़ानिस्तान पर किये गये सशस्त्र हमले को जायज़ ठहराया गया, जिसके बाद अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया गया।

अमरीका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ कर उनका क़त्ल किया, जो किसी भी अंदाज़े से एक आतंकवादी हरकत थी। अमरीका ने लीबिया पर हमला किया और उसके नेता मुअम्मर गद्दाफी की हत्या की। बीते दस सालों से अमरीका और उसके मित्र सीरिया में बशर अस्साद की सरकार को गिराने के इरादे से, अनेक बाग़ी गिरोहों को हथियार और प्रश्रय देकर, वहां गृहयुद्ध की लपटों को हवा दे रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान, सीरिया, यमन जैसे कई देशों व अफ्रीका के अनेक देशों पर सैकड़ों ड्रोन हमले किये हैं, जिनमें हजारों–हजारों निर्दोष पुरुष, स्त्री व बच्चे मारे गए हैं।

अमरीकी राज्य ने 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके, एशिया और अफ्रीका के अनेक इस्लामी मुल्कों पर कब्ज़ाकारी जंग छेड़ने के पक्ष में, अमरीका के अन्दर जनमत पैदा किया। उसने उन हमलों का इस्तेमाल करके, अमरीका के अन्दर तथा सारी दुनिया में मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाई। अमरीका ने "इस्लामी आतंकवाद पर जंग" को अगुवाई देने का दावा किया। अरब और मुसलमान लोगों को पिछड़े, महिला–विरोधी, असभ्य हठधर्मी और आतंकवादी बताकर, उन्हें बदनाम करने का सुनियोजित प्रचार अभियान चलाया गया है। अपने इस झूठे प्रचार को बल देने के लिए अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने समय–समय पर आतंकवादी हमले आयोजित किये और उसके लिए मुसलमानों को दोषी ठहराया। दुनियाभर में मुसलमानों को आतंक और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया।

अमरीकी राज्य ने 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करके, "होमलैंड सिक्यूरिटी" (स्वदेश सुरक्षा) के नाम से, खुद को अप्रत्याशित पुलिसिया ताक़तों के साथ लैस किया। "आतंकवाद पर जंग" के ऊपर सवाल करने वाले सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर नज़र रखी जाने लगी, उन्हें मनमानी से गिरफ़्तार और प्रताड़ित किया जाने लगा।

"आतंकवाद पर जंग" को छेड़ने के पीछे अमरीकी साम्राज्यवादियों का इरादा था पहले एशिया पर और फिर पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना। अरब और मुसलमान लोगों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनका अपना प्राचीन इतिहास और संस्कृति है, अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, और वे यूरोपीय व अमरीकी राजनीतिक नमूनों को मानने से इंकार करते हैं। इसके अलावा, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका में प्रचूर तेल और गैस के संसाधन हैं। इस पूरे इलाके पर अपना वर्चस्व जमाना अमरीका का इरादा था।

अफ़ग़ानिस्तान और इराक पर हथियारबंद कब्ज़े के ज़रिये, अमरीका ने ईरान को पूर्व और पश्चिम से घेरने का अपना इरादा भी हासिल किया। एशिया के तेल–संपन्न क्षेत्रों पर अमरीका के वर्चस्व का विस्तार हुआ। इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार जब यूरोपीय संघ के साथ यूरो में व्यापार करने और इस तरह कच्चा तेल व पेट्रोलियम पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापर में अमरीकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब अमरीका उन कोशिशों को नाक़ामयाब करने में सफल हुआ। अफ़ग़ानिस्तान और इराक पर जंग के सहारे, अमरीकी सैनिक–औद्योगिक ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध मशीन को जारी रखा गया।

इस "आतंकवाद पर जंग" की वजह से दसों–हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। अपाहिज या बेघर बनाये गए लोगों की संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। लाखों–लाखों लोग अपने घर–बार छोड़कर, शरणार्थी बनने को मजबूर हुए हैं। अनेक देशों की अनमोल संपत्तियां और ढांचागत रचनायें लूटी गयी हैं या नष्ट कर दी गयी हैं।

बीते 20 सालों के अनुभव से सबसे अहम सबक यह है कि अमरीकी साम्राज्यवाद की अगुवाई में चलाया जा रहा "आतंकवाद पर जंग" एक समाज–विरोधी और मानव–विरोधी हमला है। यह मुसलमानों पर जंग है, राष्ट्रों के आत्म–निर्धारण के अधिकार पर हमला है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित किये गए असूलों को बदलकर, एक नए ढांचे को स्थापित करने का प्रयास है, जिसके अनुसार अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके मित्रों को किसी भी मनगढ़ंत बहाने के आधार पर, जब चाहे किसी भी देश पर हमला करने का निरंकुश अधिकार है।

इसमें कोई शक नहीं है कि "इस्लामी आतंकवाद पर जंग" को छेड़ने का बहाना बनाये जाने वाले 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों से सबसे ज्यादा फ़ायदा अमरीकी साम्राज्यवाद को हुआ। अगर सभी प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया जाये, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 11 सितम्बर, 2001 के हमलों का सरगना, उस साज़िश को रचने वाला, अमरीकी राज्य के अलावा कोई और नहीं था।

बीते 20 सालों के अनुभव से सबसे अहम सबक यह है कि अमरीकी साम्राज्यवाद की अगुवाई में चलाया जा रहा "आतंकवाद पर जंग" एक समाज–विरोधी और मानव–विरोधी हमला है। यह मुसलमानों पर जंग है, राष्ट्रों के आत्म–निर्धारण के अधिकार पर हमला है। यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्थापित किये गए असूलों को बदलकर, एक नए ढांचे को स्थापित करने का प्रयास है, जिसके अनुसार अमरीकी साम्राज्यवादियों और उनके मित्रों को किसी भी मनगढ़ंत बहाने के आधार पर, जब चाहे किसी भी देश पर हमला करने का निरंकुश अधिकार है।

अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभावशाली विचारक दलों, जिनमें "नयी अमरीकी सदी की परियोजना" जैसे दल शामिल हैं, जिसने सन 2000 में यह प्रस्ताव किया था कि अमरीका को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचों से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी सैनिक ताक़त के ज़रिये दुनिया के दूसरे देशों पर अपना वर्चस्व जमाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इसे जल्दी–जल्दी हासिल करने के लिए एक "नए पर्ल हारबर जैसे क्षण" की ज़रूरत है। 1942 में पर्ल हारबर पर जापान के बम गिराने से अमरीकी राज्य को दूसरे विश्व युद्ध में जुड़ने के पक्ष में अमरीकी लोगों के बीच जनमत पैदा करने में सहारा मिला था। इसी तरह, अमरीकी राज्य ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने की अपनी रणनीति को क़ायम करने के लिए 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों को आयोजित किया था।

कई अमरीकी इंजीनियरों और अन्य पेशों के विशेषज्ञों ने बताया है कि दोनों टावर जिस तरह धंस कर गिरे थे, वह ऊपर की मंजिलों से विमानों के टकराने से नहीं हो सकता था। उन इमारतों के धंसने के तरीक़े से ऐसा लगता है कि उनमें लगे इस्पात के स्तम्भों के निचले भाग में बम फोड़े गए थे।

उस आतंकवादी हमले के मात्र 26 दिन बाद, अमरीका और ब्रिटेन ने अफ़ग़ानिस्तान पर कब्ज़ा करने की अपने जंग को शुरू किया। कई अमरीकी पूर्व सेनानियों ने कहा है कि इतने बड़े युद्ध की तैयारी सिर्फ 26 दिनों में नहीं की जा सकती थी। इसका यह मतलब है कि उस युद्ध की तैयारी उससे बहुत पहले से ही की जा रही थी। इससे और ज्यादा शक पैदा होता है कि 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं को अंजाम देने वालों का सरगना अमरीकी साम्राज्यवाद ही था।

अब तो अमरीकी खुफिया एजेंसियां भी यह कबूल करती हैं कि उन्होंने अल क़ायदा जैसे तरह–तरह के आतंकवादी गिरोहों को गठित किया, धन और हथियार दिया था, जिनके अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में अड्डे थे। 1980 के दशक में उन्होंने सोवियत कब्ज़ाकारी सेनाओं के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उन गिरोहों तथा तरह–तरह के स्थानीय सरदारों को हथियार और धन दिए थे।

1988–89 में जब सोवियत संघ ने अफ़ग़ानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस कर लिया, तो उसके बाद अमरीका यूरोप और एशिया में अपने भू–राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उन आतंकवादी गिरोहों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सशस्त्र आतंकवादियों को, इस्लाम की हिफ़ाज़त करने के नाम पर नियुक्त करके और सैनिक प्रशिक्षण देकर, सी.आई.ए. के विमानों से अजरबैजान और यूगोस्लाविया भेजा गया। उन्हें रूसी पाइप लाइनों का ध्वंस करने के लिए, गुप्त रूप से चेचन्या और दागेस्तान भेजा गया। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं कि आई.एस.आई.एस. नामक आतंकवादी गिरोह को सी.आई.ए. ने ही गठित किया और धन दिया, ताकि वह अफ़ग़ानिस्तान और सीरिया जैसे अनेक देशों में आतंकवादी हमले कर सके।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने 11 सितम्बर, 2001 की घटनाओं का इस्तेमाल करके, "इस्लामी आतंकवाद" का हव्वा खड़ा किया, जिसकी आड़ में उसने अमरीका का विरोध करने वाली सरकारों को गिराने या कमजोर करने का काम किया, अमरीका के अन्दर लोगों के जनवादी अधिकारों को कुचलने का काम किया और दूसरे देशों पर कब्ज़ाकारी जंग छेड़ने का काम किया। अपने ही धन और हथियारों पर पले हुए किसी एक आतंकवादी गिरोह से आतंकवादी हरकतें करवाना और फिर उसके बहाने, दूसरे देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का हनन करना, दूसरे देशों को "दुष्ट राज्य" या "आतंकवादी राज्य" करार देना और उन देशों में शासन परिवर्तन व उनके शासकों की हत्या को भी जायज़ ठहराना – यह सब अमरीकी साम्राज्यवादियों का पसंदीदा तरीक़ा बन गया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद आज दुनियाभर में फैले हुए हिंसा और आतंक के माहौल के लिए ज़िम्मेदार है। दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के अमरीकी साम्राज्यवादियों के हमलावर प्रयास आज जनवादी अधिकारों, मानव अधिकारों और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अमरीकी साम्राज्यवाद और दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के उसके ख़तरनाक प्रयासों के ख़िलाफ़ अधिक से अधिक राजनीतिक एकता बनाना आज बेहद ज़रूरी है।

http://hindi.cgpi.org/21318

Internet Editions

Mazdoor Ekta Lehar (Hindi Fortnightly) http://www.hindi.cgpi.org
Mazdoor Ekta Lehar (Punjabi) http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural (Tamil) http://www.tamil.cgpi.org
Mazdoor Ekta Lehar (English) http://www.cgpi.org
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com
Ph.09868811998, 09810167911

करनाल में किसान प्रदर्शनकारियों पर हुए क्रूर हमले की निंदा

28 अगस्त को हरियाणा के करनाल के पास बस्तर टोल प्लाजा पर सरकार के किसान–विरोधी कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। जब किसानों ने हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित की जाने वाली की एक सभा में अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए करनाल की ओर कूच किया तब उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

लाठीचार्ज में सैकड़ों किसान घायल हो गए थे। पुलिस ने न केवल किसानों को पीटा बल्कि उन्हें डराने–धमकाने के प्रयास में आसपास के खेतों में खदेड़ दिया। पुलिस के हमले में किसानों के ट्रेक्टरों और अन्य वाहनों को नुक़सान हुआ। पुलिस ने सैकड़ों किसानों को हिरासत में लिया।

किसानों ने बहादुरी से इन हमलों का मुक़ाबला किया। उन्होंने करनाल, पानीपत और अंबाला में टोल प्लाजा को बंद करवा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग–44 के बड़े हिस्से को भी जाम कर दिया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने के बाद ही नाकाबंदी हटाई गई।

किसानों ने कैथल के तीतरम मोड़ और चीका में भी सड़कों को बंद कर दिया। पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के विरोध में झज्जर में किसानों ने टिकरी सीमा के पास जाखोदा बाईपास पर दिल्ली–रोहतक महामार्ग को बंद कर दिया।

30 अगस्त को करनाल की घरौंदा अनाज मंडी में हुई महापंचायत में हजारों किसानों हिस्सा लिया। यह महापंचायत 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के ख़िलाफ़ बुलाई गई थी। महापंचायत में किसान आंदोलन के नेताओं ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा की, क्योंकि सरकार ने बैरिकेडों को पार करके विरोध स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए किसानों पर बल प्रयोग का आदेश दिया था। किसान आंदोलन के नेताओं ने करनाल के उप–प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, विशेष रूप से उसके ख़िलाफ़ जिसने पुलिस को किसानों का "सिर फोड़ने" का आदेश दिया था।

पिछले नौ महीने से भी अधिक समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि तीन किसान–विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए और किसानों की सभी कृषि उपजों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए। पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में किसान सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों में बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बहादुरी से विरोध कर रहे हैं। इन विरोध कार्यक्रमों में पड़ोसी क्षेत्रों के सभी लोगों का समर्थन और सक्रिय भागीदारी है। किसानों के गुस्से और लोगों की बढ़ती एकता का सामना करते हुए, राज्य उन्हें आतंकित करने के लिए क्रूरता से बल प्रयोग कर रहा है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए क्रूर हमले की निंदा करती है। किसान–विरोधी कानूनों के ख़िलाफ़ और अपनी आजीविका और अधिकारों की रक्षा में किसानों का संघर्ष पूरी तरह से जायज़ है। किसानों को अपनी आजीविका को दांव पर लगाने वाले कानूनों का विरोध करने का पूरा अधिकार है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को आपराधिक साबित करने के लिए राज्य द्वारा दी गई कोई भी दलील जायज़ नहीं है।

हरियाणा की पुलिस द्वारा किसानों पर किये गये हमले के बाद किसानों ने महामार्ग को बंद कर दिया।

http://hindi.cgpi.org/21295

किसानों ने मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया

मुज़फ़्फ़रनगर में किसान–मज़दूर महापंचायत

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) द्वारा आयोजित "किसान–मज़दूर महापंचायत" के लिए शक्ति और एकता के विशाल प्रदर्शन में 5 सितंबर को देशभर से 10 लाख से अधिक किसान एक साथ आए। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित देशभर के 15 राज्यों की 300 से अधिक किसान यूनियनों और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के कई सामुदायिक संगठनों ने भाग लिया। हरियाणा और पंजाब के किसानों का एक विशाल जत्था वहां पहुंचा था। विभिन्न क्षेत्रों के मज़दूरों की ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने भी अपने प्रतिनिधिमंडलों को महापंचायत में भेजा और किसान संघर्ष को अपना समर्थन प्रकट किया।

प्रतिभागियों के लिए 5,000 'लंगर' स्थल स्थापित किए गए थे। स्थानीय किसान संगठनों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से आये प्रतिभागियों का स्वागत और मेजबानी की गई। महापंचायत में प्रतिभागियों का संघर्ष करने का साहसी जज्बा और संघर्ष को अंत तक ले जाने का संकल्प साफ दिखाई दिया।

रैली को देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसान नेताओं ने संबोधित किया। उन्होंने अपनी मांगें दोहराई कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों किसान–विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2021 को वापस लिया जाए और देश के सभी हिस्सों में सभी कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों की मांग का समर्थन किया, जो गन्ने के लिए 450 रुपये प्रति क्विंटल एस.ए.पी. (राज्य परामर्श मूल्य) के लिए उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं।

किसान नेताओं ने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की जो बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी कारपोरेट घरानों के मुनाफ़ों को सुनिश्चित करने के पक्ष में हैं, और जो हमारे देश के किसानों और सभी लोगों को बर्बाद कर रही हैं। वे राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एन.एम.पी.) के नाम से प्रचारित किए जा रहे सरकार के निजीकरण और विनिवेश कार्यक्रम के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों की संपत्ति को सबसे बड़े निजी कॉरपोरेट घरानों को बेचने के कार्यक्रम के रूप में इसकी आलोचना की।

महापंचायत के प्रतिभागियों ने संघर्ष में सभी समुदायों के लोगों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को

साम्प्रदायिक आधार पर बांटने, साम्प्रदायिक घृणा फैलाने और साम्प्रदायिक हिंसा को आयोजित करने की राज्य की कायराना कोशिशों का करारा जवाब दिया है।

सरकार को मज़दूर–विरोधी और किसान–विरोधी बताते हुए, एस.के.एम. ने संघर्षरत ट्रेड यूनियनों, कृषि मज़दूरों के संगठनों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और अन्य वर्गों को शामिल करने के अपने फ़ैसले की घोषणा की, जिनके जीवन, आजीविका और बुनियादी अधिकारों पर सरकार की नीतियों से हमला हो रहा है।

एस.के.एम. ने देशभर के सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का विस्तार करने के अपने निर्णय की घोषणा की। घोषणा की गई कि किसान मज़दूर महासंघ द्वारा 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ में एक और किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।

एस.के.एम. ने संघर्ष के समर्थन में 27 सितंबर को देशव्यापी बंद का आह्वान किया है।

करनाल में किसान महापंचायत

28 अगस्त को हरियाणा सरकार द्वारा, विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर क्रूर हमले के जवाब में, किसानों ने हरियाणा सरकार को एस.डी.एम. और अन्य अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया था। ये वे अधिकारी हैं जिन्होंने किसानों पर हमले का नेतृत्व किया था और किसानों के 'सिर फोड़ने' के आदेश दिए थे। किसानों ने मांग की थी कि अधिकारियों को निलंबित किया जाए और दोषी एस.डी.एम. के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने हमले में मारे गए किसान के परिवार को 25 लाख रुपये और राज्य की हिंसा में घायल हुए किसानों को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की भी मांग की थी।

लेकिन हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ तीन दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और इसकी बजाय एस.डी.एम. के कार्यों का समर्थन किया। अल्टीमेटम की समय सीमा 6 सितंबर को समाप्त हो गई, जिसके बाद किसानों ने 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत आयोजित करने की अपनी योजना की घोषणा की।

करनाल के जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और प्रदर्शनकारियों पर आई.पी.सी. की धारा 188 लगाने की धमकी दी; जिसके तहत, किसानों पर एक प्राधिकरण के आदेशों की अवज्ञा करने का आरोप लगाया जाएगा और उन्हें छः महीने के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सभी पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया और लोगों को विरोध स्थल पर पहुंचने से रोकने के लिए दिल्ली–अंबाला महामार्ग पर करनाल से यातायात को मोड़ दिया।

राज्य के दमन का डटकर मुक़ाबला करते हुए, हजारों किसान 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत स्थल पर अपनी ताक़त और अपने विरोध को तेज़ करने के लिए पहुंचे। उन्होंने करीब 5 किलोमीटर दूर लघु सचिवालय भवन तक मार्च किया और लघु सचिवालय भवन का घेराव किया। संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने घोषणा की है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती तब तक वे अनिश्चितकाल के लिए धरना स्थल पर बैठे रहेंगे।

आंदोलनकारी किसानों ने सरकार के इस झूठे प्रचार को ख़ारिज़ कर दिया है कि उसने रबी की फ़सल के मौसम में विभिन्न फ़सलों के एम.एस.पी. में बढ़ोतरी की है। उन्होंने बताया है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए, एम.एस.पी. में घोषित बढ़ोतरी के बाद भी गेहूं, चना और कई अन्य उत्पादों के खरीद मूल्य घटे हुए ही हैं। घोषित एम.एस.पी. बढ़ोतरी में बढ़ती कृषि लागत, पेट्रोल, डीजल और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की बढ़ती क़ीमतों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

पंजाब में संगरूर, बठिंडा और कई अन्य जगहों पर भी पिछले कुछ हफ्तों में किसानों के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। हरियाणा में झज्जर, बहादुरगढ़, शाहजहांपुर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ और अन्य जगहों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। एस.के.एम. ने राज्य सरकार और उसकी राजनीतिक पार्टियों के सभी आयोजनों का विरोध करने के अपने फैसले की घोषणा की।

देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों और किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी हैं।

http://hindi.cgpi.org/21354

रोज़गार की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों में भारी गिरावट

हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका अपनी रोज़ी–रोटी कमाने में असमर्थ है। लाखों परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। अपनी आमदनी में होने वाली कमी की वजह से, उन्हें जिससे भी उधार मिल सकता है उससे लेकर वे जीने के लिये लाचार हैं। बेरोज़गारी की समस्या दिन पर दिन और भी जटिल होती जा रही है और इसी के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, दोनों में कर्ज़ की समस्या भी बढ़ती जा रही है ।

शासक वर्ग अक्सर हिन्दोस्तान के "जनसांख्यिकीय लाभांश" (डेमोग्राफिक डिविडेंड) के बारे में बहुत शेखी बघारता है। देश में अधिकतर युवा आबादी होने के कई फ़ायदे हैं। दो–तिहाई से अधिक हिन्दोस्तानी आबादी कामकाजी उम्र की है, जिसे 15–64 वर्ष की आयु की श्रेणी से पारिभाषित किया जाता है। यह विश्व के अन्य देशों के औसत से काफी अधिक है। हालांकि, यह भी सच है कि युवा आबादी का संभावित फ़ायदा, आज पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है क्योंकि देश का यही तबका, यानी कि कामकाजी उम्र के लोगों को इस वर्तमान व्यवस्था में नौकरी या स्वरोज़गार के कोई और साधन नसीब नहीं हो पा रहे हैं।

शासक वर्ग के प्रवक्ता बड़ी आसानी से इस समस्या के लिए, कोरोना वायरस पर दोष मढ़ देते हैं। हालांकि, आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि कोरोना वायरस महामारी फैलने के काफी पहले से ही देश में पिछले कई वर्षों से रोज़गार में गिरावट आ रही है। पिछले 18 महीनों के दौरान बार–बार लागू किए गए लॉकडाउन ने पहले से ही एक गंभीर समस्या को और भी संगीन बना दिया है – देश में उपलब्ध मानव संसाधनों को उचित रोज़गार प्रदान करने में देश की आर्थिक प्रणाली पूरी तरह से असमर्थ है।

2021 में लगभग 140 करोड़ की कुल आबादी में से, हिन्दोस्तान की कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 94 करोड़ है। इस कामकाजी उम्र की आबादी में से अनुमानित 43.3 करोड़ लोग या तो किसी नौकरी में लगे हुए हैं या सक्रिय रूप से रोज़गार की तलाश में हैं। वे देश की श्रम–शक्ति का हिस्सा हैं। इनमें से केवल 39.7 करोड़ लोगों के पास ही नौकरी है और बाकी 3.6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। नौकरी करने वालों में दोनों, वेतन पाने वाले (लगभग 21 करोड़) और स्व–रोज़गार करने वाले (18.7 करोड़) लोग शामिल हैं।

रोज़गार में गिरावट

श्रम शक्ति के जिस हिस्से को नौकरी मिली है, उस हिस्से की कामकाजी–आयु की कुल जनसंख्या के अनुपात को रोज़गार की दर कहा जाता है। कोरोना वायरस महामारी के पहले से ही यह रोज़गार की दर लगातार गिरती आ रही है। यह 2018–19 में 46 प्रतिशत से गिरकर 2019–20 में 45 प्रतिशत हो गयी थी। अगस्त 2021 में इस दर को केवल 42 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मार्च 2020 से कोरोना वायरस महामारी और बार–बार लगाये गए लॉकडाउन ने दसों लाखों नौकरियों और स्व–रोज़गारों की आय के स्रोतों को भी नष्ट कर दिया है। पूंजीवादी कंपनियों ने काम करने वाले मज़दूरों की संख्या में कटौती की है और दैनिक काम के घंटों में वृद्धि की है। कई लघु उद्योग स्थायी रूप से बंद हो गए हैं।

इस स्थिति का विशेष रूप से महिलाओं पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं की नौकरी खोने के लिए ज़िम्मेदार कारकों में से एक, सार्वजनिक परिवहन की कमी है। एक अन्य कारण यह है कि वस्त्र–उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, जिनको असेंबली लाइनों में एक–दूसरे के निकट काम करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश फैक्ट्रियां लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद हो गईं और कई तो इतने महीनों बाद भी, अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाई हैं। घरेलू कामगार के रूप में काम करने वाली बहुत सी महिलाओं ने भी लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरियां खो दीं।

युवा पीढ़ी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। महामारी से पहले भी युवा–बेरोज़गारी दर बहुत बुरी थी। 2019–20 में 15–24 आयु वर्ग के 44 प्रतिशत लोग बेरोज़गार थे। इस समय, यह अनुपात लगभग 54 प्रतिशत होने का अनुमान है। यानी हिन्दोस्तान के आधे से ज्यादा युवा–मज़दूर बेरोज़गार हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है!

काम की तलाश के लिये मजबूर बेरोज़गार व्यक्तियों की कुल संख्या 2019–20 में लगभग 2.5 करोड़ थी जो बढ़कर अब 3.6 करोड़ हो गई है।

इजारेदार पूंजीवाद के चरण में, पूंजीवाद छोटे पैमाने के उत्पादकों और व्यापारियों को लगातार और समय–समय पर कंगाल करता रहता है। इस प्रकार, जैसे–जैसे इजारेदार पूंजीवाद बढ़ता है, अपने द्वारा सृजित नई नौकरियों की तुलना में, वह कहीं अधिक नौकरियों और स्व–रोज़गार के स्रोतों को नष्ट कर देता है।

श्रम शक्ति की भागीदारी में गिरावट

रोज़गार की संभावनाएं इतनी ख़राब हैं कि बहुत से लोग श्रम–शक्ति से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। उन्होंने नौकरी तलाशने की कोशिश करनी भी बंद कर दी है। यह सच्चाई, श्रम–शक्ति–भागीदारी दर (एल.पी.आर.) में आई गिरावट के आंकड़ों में दिखाई पड़ती है।

एल.पी.आर. श्रम शक्ति की कामकाजी आयु की कुल जनसंख्या का अनुपात है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि देश की सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में उपलब्ध कार्य शक्ति का किस हद तक उपयोग कर रही है। यह कामकाजी उम्र की उस आबादी का अनुपात है जिनके पास या तो नौकरियां हैं या सक्रिय रूप से वे रोज़गार की तलाश में हैं। 2016–17 से श्रम शक्ति की भागीदारी दर लगातार गिरती जा रही है। इस समय यह दर लगभग 46 प्रतिशत है। यह पुरुषों के लिए लगभग 70 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत से भी कम है।

रोज़गार की गुणवत्ता में गिरावट

बड़े पैमाने पर नौकरियों और लोगों की रोज़ी–रोटी के स्रोतों के विनाश के साथ–साथ, एक तरफ लोगों की असुरक्षा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जिनके पास नौकरी है उनके काम करने के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं।

बड़े और छोटे निजी उद्यमों, दोनों में, मज़दूरों के ऊपर किसी भी समय अपनी नौकरी खोने का ख़तरा मंडराता रहता है। उनके पास आजीविका की कोई सुरक्षा नहीं है। अधिकांश पूंजीवादी कंपनियों में नियमित स्थायी नौकरियों को बड़े पैमाने पर अस्थायी और निश्चित अवधि के अनुबंधों वाली नौकरियों में बदल दिया गया है। सार्वजनिक उद्यमों में निजीकरण के कार्यक्रम के कारण इन उद्यमों के मज़दूरों को नौकरी खोने का ख़तरा है।

नौकरियों पर काम करने वाले ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी योग्यता से कहीं बदतर श्रेणी का काम करने के लिए मजबूर हैं और उन्हें बहुत ही कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। वे बहुत लंबे घंटों तक काम करते हैं और उन्हें अधिक घंटों तक काम करने के लिए, अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता है। वे इस अन्याय के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार से भी वंचित हैं।

हमारे शहरों में डिलीवरी मज़दूर (खाद्य वितरण या कूरियर सेवा वाले मज़दूर) और ओला या ऊबर के ड्राइवर ऐसे मज़दूरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं जिनके पास न तो नौकरी की सुरक्षा है और न ही उनको अधिक घंटे काम करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन मिलता है। उन्हें नियमित वेतन भी नहीं दिया जाता है। उन्हें केवल प्रोत्साहन बतौर कुछ भत्ता मिलता है परन्तु उन्हें अपने व्यवसाय को चलाने के खर्चों की पूरी लागत खुद ही वहन करनी होती है। जैसे कि डिलीवरी मज़दूरों को अपने वाहनों के लिए ज़रूरी ईंधन की क़ीमत खुद चुकानी पड़ती है। ओला और ऊबर ड्राइवर अपने वाहन लेने के लिए कर्ज़ लेते हैं और उन्हें अपनी मामूली आमदनी से ही कर्ज़े की मासिक किश्त (ई.एम.आई.) का भी भुगतान करना पड़ता है। ये तथाकथित "गिग" कर्मचारी, "वेतन वाली नौकरी" और "स्व–रोज़गार" के बीच में आते हैं, हालांकि वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं लेकिन उस काम के लिए न तो कोई अनुबंध होता है और न ही कोई निश्चित वेतन और न ही किसी भी प्रकार का भत्ता मिलता है। वे लंबे समय तक काम करते हैं, दिन में 16 घंटे तक!

घरेलू आय को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। एक तो नौकरी न मिलने की मजबूरी या स्व–रोज़गार के माध्यम से रोज़ी–रोटी का कोई साधन खोजने में असमर्थता। दूसरा यदि किसी तरह नौकरी मिल जाए तो बहुत कम मज़दूरी पर काम करने की मजबूरी। नियमित वेतन पर कार्यरत बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं और उनके पास रोज़ी–रोटी कमाने का और कोई साधन भी नहीं था। ठेके या दैनिक मज़दूरी पर काम करने वाले बहुत से लोगों को कुछ रोज़गार तो मिला, लेकिन बहुत कम मज़दूरी की दरों पर।

आज हालात ये हैं कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ठीक करने के लिए घर–घर तकनीकी सेवायें देने के लिए एक इंजीनियर आता है जिसके पास मास्टर्स डिग्री भी है; या फिर एक स्कूल वैन चालक जो ऋण पर खरीदे गए ई–रिक्शा को चलाकर अपनी रोज़ी–रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा हो; या कोई व्यक्ति जो पहले किसी पांच सितारा होटल में शेफ के रूप में काम करता था, अब एक एन.जी.ओ. के लिए काम कर रहा है और इस तरह अपने पहले के वेतन का केवल पांचवां हिस्सा ही कमा पा रहा है।

आमदनी में होने वाले नुक़सान से निपटने के लिए परिवारों को अपनी पारिवारिक संपत्ति तक बेचनी पड़ रही है या भारी उधार लेना पड़ रहा है, जिसमें परिवारों की आय का 2 से 6 गुना तक का कर्ज़ होता है। हाल ही में किये गए कोविड–19 आजीविका सर्वेक्षण के अनुसार, सबसे ग़रीब परिवारों (निचले 25 प्रतिशत) पर उनकी मासिक घरेलू आय का लगभग चार गुना कर्ज़ का बोझ पाया गया और यह कर्ज़ भी, बड़े साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर लिए गया है, जिसका मतलब है कि आगे लंबे समय तक ग़रीबों को और भी बदतर हालातों का सामना करने की मजबूरी। हाल के महीनों में ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने ग़रीबों के लिए घरेलू आमदनी पर बोझ को और भी बढ़ा दिया है।

समस्या की जड़

पूंजीवादी उत्पादन, उत्पादन के साधनों के मालिकों (पूंजीपतियों) द्वारा निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने के उद्देश्य से संचालित होता है। पूंजीपति मज़दूरों को दी जाने वाली मज़दूरी को उत्पादन की लागत मानते हैं, जिसे पूंजीवादी मुनाफ़े को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कम से कम किया जाता है। इसका मतलब है कि पूंजीपति कम से कम मज़दूरों से ज्यादा से ज्यादा काम करवाने और इसलिए काम के घंटे बढ़ाने का लगातार प्रयास करते हैं। पूंजीवादी उत्पादन अनिवार्य रूप से बेरोज़गारों की एक सेना के निर्माण की ओर ले जाता है, जो पूंजीपति वर्ग के लिए एक रिज़र्व के रूप में कार्य करती है और जिसका उपयोग मांग में तेज़ी से बढ़ोतरी होने पर किया जाता है। इस सच की खोज कार्ल मार्क्स ने 150 साल से भी पहले की थी। उन्होंने इसे "बेरोज़गारों की रिज़र्व सेना" कहा था।

शेष पृष्ठ 7 पर

डिजिटल शिक्षा : पूंजीपतियों के लिए एक वरदान और बहुसंख्य बच्चों और युवाओं के लिए एक त्रासदी

- कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन द्वारा और भी तेज़ गति से डिजिटल शिक्षा की ओर एक बड़ा बदलाव इजारेदार पूंजीपतियों के लिए एक बड़े और अत्यधिक लाभदायक डिजिटल बाज़ार के रूप में हिन्दोस्तान को तेज़ी से खोल रहा है।
- यह शिक्षा प्रणाली की मौजूदा असमानताओं को बहुत बढ़ा रहा है और अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित कर रहा है।
- यह युवाओं और बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य ख़तरों का कारण बन रहा है।
- यह पहले से ही नौकरी छूटने और वेतन कटौती से जूझ रहे मज़दूर वर्ग के ग़रीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को और भी बढ़ा रहा है।

कोविड–19 महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन ने हमारे देश के लाखों बच्चों और युवाओं के शिक्षा हासिल करने के सपनों और आकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया है।

मार्च 2020 में अचानक से लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही, एक झटके में हमारे देश के स्कूल जाने वाले लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा–व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। महामारी के कारण पूरे हिन्दोस्तान में 15 लाख से अधिक स्कूल बंद हो गए। इससे पूर्व–प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले लगभग 28.6 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दावा करती रही हैं कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण शिक्षा में बहुत कम या कोई रुकावट नहीं हुई है। पिछले डेढ़ साल के कठोर अनुभव ने हमें दिखाया है कि ऑनलाइन शिक्षा न केवल देश के कई हिस्सों में बच्चों की पहुंच से लगभग पूरी तरह से बाहर है, बल्कि अधिकांश बच्चों और युवाओं के लिए इसकी क़ीमत चुकाना भी मुमकिन नहीं है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर होने वाला इसका दुष्प्रभाव भी चिंता का एक प्रमुख कारण है।

सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए कक्षाएं रोक दी गईं। स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक शैक्षणिक संस्थानों ने शिक्षण और मूल्यांकन के ऑनलाइन तरीक़ों को अपना लिया है। नतीजतन, पिछले डेढ़ वर्षों में हम ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा के नए रूप में शिक्षा का लगभग पूरी तरह से बदलाव देख रहे हैं।

सरकार ने हिन्दोस्तान में डिजिटल शिक्षा को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए कोविड–19 के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से शिक्षा में आये व्यवधान का इस्तेमाल किया है। यह पूरी तरह से जुलाई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा को "हिन्दोस्तान में शिक्षा की समस्याओं को हल करने की कुंजी" के रूप में ज़ोर दिया गया है।

डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार के प्रोत्साहन ने हिन्दोस्तान को डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में, आई.टी. इजारेदार कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए सबसे बड़े और अत्यधिक आकर्षक बाज़ारों में से एक के रूप में खोल दिया है। कोविड–19 के प्रकोप से पहले, 2016 में किए गए सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया था कि हिन्दोस्तान में ऑनलाइन शिक्षा का बाज़ार 16 लाख उपयोगकर्ताओं के साथ 247 मिलियन डॉलर (1,870 करोड़ रुपये) का था। यह बढ़कर 2021 तक 96 लाख उपयोगकर्ताओं के साथ 1.96 बिलियन (14,836 करोड़ रुपये) हो गया है। कोरोनावायरस से प्रेरित लॉकडाउन ने हिन्दोस्तान के डिजिटल शिक्षा क्षेत्र के बाज़ार को बड़ी आई.टी. इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के लिए खोल दिया है। हिन्दोस्तान अब अमरीका के बाद, दुनिया में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे सबसे बड़े बाज़ार के रूप में उभरा है।

हर गांव और शहर में चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्यों न हो, वहां पर आधुनिक बुनियादी ढांचे वाले और तकनीक से लैस पर्याप्त संख्या में शिक्षकों वाले, अच्छी गुणवत्ता के स्कूलों को प्रदान करने की अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरह नाता तोड़ने के लिए – कोविड–19 की महामारी और लॉकडाउन का इस्तेमाल शासकों द्वारा किया जा रहा है। सभी के लिए शिक्षा के एक समान मानक–सुनिश्चित करने वाली एक समान स्कूली प्रणाली स्थापित करने में, अपनी विफलता को छिपाने और न्यायोचित ठहराने के लिए, हमारे शासकों द्वारा इस महामारी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह शिक्षा प्रणाली में मौजूदा असमानताओं को बहुत अधिक बढ़ा रहा है और अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर रहा है। दूसरी ओर, यह डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में आई.टी. इजारेदार कंपनियों के लिए भारी मुनाफ़े बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रही है।

हमारे बच्चों और युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा महामारी से पहले ही किसी भी तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित था। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हिन्दोस्तान में 6 से 14 साल के बीच के आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले सभी बच्चों में से एक तिहाई से थोड़ा अधिक हिस्सा ही कक्षा 8 तक पहुंचता है। 6–14 वर्ष की आयु के कम से कम 3–5 करोड़ बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं।

हमारे बच्चों और युवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा महामारी से पहले ही किसी भी तरह की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित था। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि हिन्दोस्तान में 6 से 14 साल के बीच के आधे से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं। कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले सभी बच्चों में से एक तिहाई से थोड़ा अधिक हिस्सा ही कक्षा 8 तक पहुंचता है। 6–14 वर्ष की आयु के कम से कम 3–5 करोड़ बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं।

आज़ादी के 75 साल बाद भी राज्य ने सभी बच्चों और युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली एक समान शिक्षा सुनिश्चित नहीं की है। 1950 में अपनाए गए संविधान में 10 साल के भीतर सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया था! 1966 में बने कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी कि 20 वर्षों के भीतर, एक समान स्कूली प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। लेकिन यह केवल नीतिगत उद्देश्य बनकर ही रह गया है, हिन्दोस्तान के अधिकांश लोगों के लिए यह एक दूर का सपना है। शिक्षा पर केंद्र और राज्य सरकार के खर्च का वास्तविक स्तर, वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का केवल 3.1 प्रतिशत है, जो अनुशंसित स्तर का लगभग आधा है और कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

नतीजतन, अधिकांश सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के अलावा अन्य सुविधाओं जैसे कि शौचालयों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं, आदि की भारी कमी है। चूंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट जारी है, इसलिये अधिक से अधिक माता–पिता अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने को मजबूर हैं। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा स्कूल फीस के रूप में दे रहे हैं। मज़दूरों और किसानों के अधिकांश बच्चों को सरकारी स्कूलों में बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा मिलती है। इस सज़ा को भुगतने के लिए बच्चों को मजबूर करने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य ज़िम्मेदार है।

हिन्दोस्तान में एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली नहीं है, जो देश के सभी हिस्सों में सभी बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता और एक समान शिक्षा सुनिश्चित करे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के शासक, पूंजी के मालिक, कारखानों और दुकानों के मालिक, निर्माण कंपनियां और अन्य कंपनियां यही चाहते हैं कि करोड़ों लोग अनपढ़ या कम पढ़े–लिखे बने रहें। इस तरह उनको अपने मुनाफ़े और बढ़ाने के लिए अर्धकुशल और अकुशल

शेष पृष्ठ 6 पर

पाठकों से

देश में बेरोज़गारी की परिस्थिति

प्रिय संपादक,

'रोज़गार की मात्रा और गुणवत्ता में भारी गिरावट' लेख में हमारे देश में बेरोज़गारी की स्थिति पर व्यापक चर्चा की गई है। यह तथ्य क्रोधित करने वाला है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं और करोड़ों परिवार आय के निश्चित स्रोत के बिना हैं! क्या रोज़गार सृजित करना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है? परन्तु, क्या सरकार का इरादा नौकरी देने का है भी?

अपने और अपने दोस्तों के अनुभव से मैंने देखा है कि पूंजीपति हमसे लंबे समय तक श्रम करवा कर, कम श्रमिकों से अधिक काम करवाकर अपना मुनाफ़ा बढ़ाते हैं। कई मौकों पर मैंने खुद को यह सोचते हुए पाया है, कि 'वे अधिक लोगों को रोज़गार क्यों नहीं देते? इससे निश्चित रूप से मेरा तनाव कुछ कम होगा!' परन्तु, अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने की बजाय पूंजीपति 100 श्रमिकों से 200 श्रमिकों का काम करवाते हैं। श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं है और उन्हें जो मिलता है उसे लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

वास्तव में न्यायोचित समाज में, सभी के लिए नौकरी और नौकरी की सुरक्षा होगी। आवाजाही की सुविधा के लिए एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। अधिक महिलाओं को काम करने में सक्षम बनाने के लिए सामुदायिक रसोई और दिन के समय बच्चों की देखभाल के केंद्र होंगे। निजी लाभ कमाना संभव नहीं होगा। रेलवे से लेकर बिजली से लेकर खदानों तक सब कुछ मज़दूर वर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण में होगा। यह सब सोवियत सरकार ने हासिल किया था, क्योंकि वहाँ मज़दूरों और किसानों की सत्ता थी।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पूंजीवादी राज्य में कोई भी सरकार सभी को रोज़गार नहीं देगी। जैसा कि लेख से भी पता चलता है कि बेरोज़गार व्यक्तियों की ज्यादा संख्या होना, पूंजीपति वर्ग को श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा से इनकार करने, उनकी मांगों को अस्वीकार करने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए, उनका अत्यधिक शोषण करने की अनुमति देता है। पूंजीवाद के जीवित रहने के लिए बेरोज़गारी ज़रूरी है, यही वजह है कि पूंजीवाद के तहत बेरोज़गारी का कोई समाधान नहीं है।

महामारी ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है और देश में बेरोज़गारी की दर को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के लाखों श्रमिकों की नौकरियां और अधिकार अब मुद्रीकरण और निजीकरण की श्रमिक–विरोधी नीतियों के कारण ख़तरे में हैं। ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि मज़दूर वर्ग की श्रम शक्ति ही उत्पादन की प्रक्रिया में मूल्य पैदा करती है। हम वही हैं जो मुनाफ़ा बनाते हैं, जो अंततः पूंजीपतियों की जेब में जाता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, जहां हम जो मूल्य पैदा करते हैं, उसका उपयोग हमारे अपने कल्याण के लिए किया जाएगा।

अपराजिता, मुंबई

डिजिटल शिक्षाः

पृष्ठ 5 का शेष

मज़दूर अत्यंत कम मज़दूरी पर मजबूरन काम करने के लिए हमेशा उपलब्ध हो सकेंगे। जाति व्यवस्था की निरंतरता और इस धारणा ने कि कुछ लोग अनपढ़ रहने और केवल "गंदगी में" काम करने के लिए ही "जन्म" लेते हैं। इस तरह से शिक्षा में भेदभाव को सही ठहराने का काम किया गया है और इसलिए देश के बहुत से बच्चों और युवाओं को अपनी जाति के लगे ठप्पे के कारण इस क्रूर असमानता का सामना करना पड़ता हैं। यही वास्तविक कारण है कि शिक्षा कुछ लोगों का विशेषाधिकार बनी हुई है, भले ही इसे कानूनी रूप से एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई हो।

बड़े पैमाने पर डिजिटल शिक्षा में अचानक और लगभग पूरी तरह से परिवर्तन ने, कई बाधाओं को जन्म दिया है। यह उन बच्चों और युवाओं के अनुपात में वृद्धि कर रहा है जो शिक्षा की पहुंच से बाहर हैं।

देश के कई क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बेहद ख़राब है या न के बराबर है। नतीजतन, छात्रों को अक्सर बाहर जाकर सड़क के किनारे बैठना पड़ता है या उन्हें फोन पर ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ियों और पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है। देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने बताया है कि जब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुईं, तब 5 प्रतिशत से भी कम छात्रों के पास विश्वसनीय और लगातार इंटरनेट की सुविधा थी। स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन वाले मुट्ठीभर छात्रों को ही पाठ और गृहकार्य पहुंचता है, जिसे वे अन्य छात्रों के साथ सांझा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बहुप्रचारित ऑनलाइन शिक्षा मंच (स्वयं प्रभा) भी देश के कई हिस्सों में छात्रों के लिए दुर्गम हैं क्योंकि उनका प्रसार यूट्यूब, डिजिटल और सैटेलाइट टीवी के माध्यम से किया जाता है।

उच्च शिक्षा पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कॉलेजों के जिन छात्रों को अपने कॉलेज परिसरों से दूर रहना पड़ा है, उनके ग्रामीण और छोटे शहरों के घरों में जहां पर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, उनके लिये किताबों, पुस्तकालयों और शिक्षकों के बिना, अपनी शिक्षा को जारी रखना एक वास्तविक चुनौती रही है। परीक्षण और परीक्षा पैटर्न की पारंपरिक प्रणाली को ऑनलाइन मोड में बदल दिया गया है, जिससे छात्रों को इस नयी प्रणाली के द्वारा शिक्षा पाना बहुत मुश्किल हो गया है।

2017–18 के अखिल भारतीय एन.एस.ओ. सर्वेक्षण के अनुसार, हिन्दोस्तान में केवल 25 प्रतिशत छात्रों के पास घर पर इंटरनेट है। ग्रामीण हिन्दोस्तान में यह संख्या बहुत ही कम है, केवल 4 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की पहुंच है। 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चला है कि हिन्दोस्तान के 55,000 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2017–18 के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि हिन्दोस्तान के 36 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में बिजली तक उपलब्ध नहीं है।

जिन लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है भी उनमें से बड़ी संख्या में छात्रों को असुविधाजनक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है जैसे कि कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फोन का उपयोग करना। हालांकि मोबाइल फोन ऑनलाइन व्याख्यान सुनने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, वे निश्चित रूप से परीक्षा या असाइनमेंट लिखने के लिए उपयुक्त या सुविधाजनक माध्यम नहीं हैं।

ऑनलाइन शिक्षा में अचानक बदलाव का मतलब, मज़दूर वर्ग के अधिकांश परिवारों के खर्चों पर एक भारी बोझ है। अनुमान बताते हैं कि 1,000 रुपए प्रति बच्चा मासिक खर्च करने वाले परिवार के लिए ऑनलाइन शिक्षा का अतिरिक्त खर्च 250 रुपए प्रति बच्चा है। इस प्रकार, पिछले डेढ़ वर्षों में डिजिटल शिक्षा में बदलाव के कारण, मज़दूर वर्ग के परिवारों के अधिकांश बच्चों और युवाओं के लिए शिक्षा उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है।

ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या हक़ीक़त में बहुत कम है, क्योंकि कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा या घर में स्मार्टफोन होना, बिना किसी बाधा के इंटरनेट की पहुंच की गारंटी नहीं है। लॉकडाउन और ऑनलाइन कक्षाओं की लंबी अवधि ने उन घरों में बच्चों के द्वारा झेलने वाली उन समस्याओं का खुलासा किया जहां दो या तीन भाई–बहनों को केवल एक स्मार्टफोन ही नसीब था क्योंकि इससे अधिक खर्च करने की सामर्थ्य उनके माता–पिता के पास नहीं था। इन सभी घरों को, आधिकारिक तौर पर "एक उपकरण" और "इंटरनेट एक्सेस" के रूप में दर्ज़ किया जाएगा, लेकिन हक़ीक़त में इन बच्चों को इस दौरान इंटरनेट से बहुत कम मदद मिली होगी।

लंबे समय तक बच्चों को अपने घरों में एक प्रकार से कैद करके रखना, लंबे समय तक ऑनलाइन रहना और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देखना, शारीरिक स्वास्थ्य, आंखों पर तनाव, दृश्यता दोष और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लंबे समय तक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव की गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। कई रिपोर्टें पीठ दर्द, सिरदर्द, थकान और अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, मोटापा, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं की बढ़ती घटनाओं का संकेत देती हैं। शिक्षकों द्वारा सलाह की कमी और अपने साथियों के साथ बातचीत कर पाने का अभाव, उनके द्वारा झेले जाने वाले मानसिक आघात को और भी बढ़ा रही है।

शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। इसे कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं रहने दिया जा सकता। सभी के लिए समान रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली कक्षा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सरकारी खर्च के विकल्प के रूप में डिजिटल शिक्षा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा को एक बिक्री–योग्य वस्तु नहीं बनाया जा सकता, जिसे सबसे अधिक लाभदायक मूल्य पर बेचा जाये और जिसे केवल वे ही खरीद सकते हैं जो इस मूल्य पर शिक्षा खरीदने का सामर्थ्य रखते हों। हमें सभी के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली की इस मांग के इर्द–गिर्द एकजुट होना चाहिए, जो देश के सभी हिस्सों में सभी बच्चों और युवाओं को एक न्यायोचित अधिकार, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की गारंटी देता है।

http://hindi.cgpi.org/21315

ऊंची आय वाले परिवारों से आने वाले छात्रों को कम्प्यूटर व इंटरनेट के बेहतर साधन उपलब्ध हैं

एम.पी.सी.ई.* वर्गीकरण के आधार पर घर में कम्प्यूटर व इंटरनेट वाले छात्रों का अंश (प्रतिशत में)

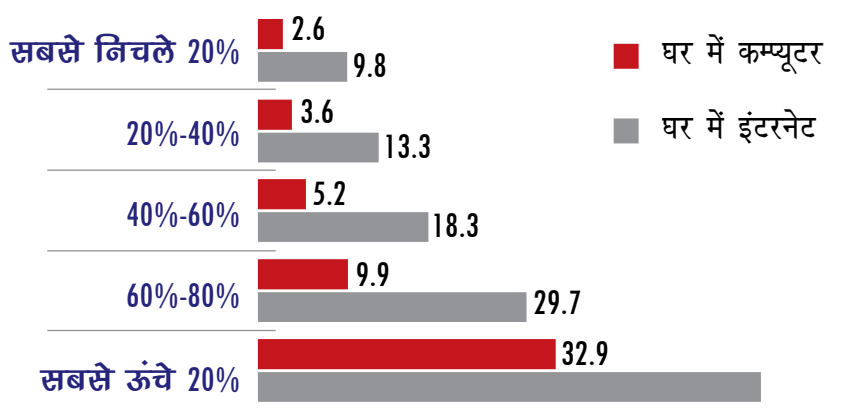

2017–18 में 3–35 वर्ष की आयु के शिक्षा लेने वाले व्यक्ति

* एम.पी.सी.ई. : मासिक प्रति व्यक्ति आय

टमाटर की क़ीमतों में हुई गिरावट से किसानों को भारी नुक़सान

27 अगस्त को महाराष्ट्र के नाशिक में किसानों ने अपने टमाटरों की दर्जनों पेटियों को सड़क पर और बाज़ार के चौक में फेंक दिया। उन्होंने उन क़ीमतों के विरोध में ऐसा किया, जिन क़ीमतों पर उन्हें अपनी फ़सल बेचनी पड़ रही थी।

नाशिक, तोशान और हरियाणा में अगस्त 2021 में टमाटर की क़ीमतें 7.5 रुपये प्रति किलोग्राम और जुलाई 2021 में 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम थीं। अब सितंबर 2021 में ये क़ीमतें गिरकर 25 किलोग्राम के पेटी के लिए 50 रुपए, यानी 2 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। पिछले साल जुलाई में टमाटर का थोक भाव 20.4 रुपये प्रति किलो था।

नाशिक में किसान अपनी उपज को थोक की मंडी में नहीं ला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फसल की जो क़ीमत है वह परिवहन की लागत को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हरियाणा के किसानों ने भी कहा कि उन्हें उनकी फ़सल की लागत भी नहीं मिल पा रही है।

नवीनतम आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, देश का बाग़वानी फ़सल उत्पादन 2020–21 मौसम में 33 करोड़ टन के उच्चतम स्तर को छूने के लिए तैयार है, जो कि उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

यह पूरे देश के लिए उत्सव का अवसर होना चाहिए। दूसरी ओर, यह उत्पादकों यानी किसानों के लिए एक आपदा है। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अनुसार, एक किसान अपनी ज़मीन पर एक किलोग्राम टमाटर उपजाने के लिए कम से कम 4 रुपये ख़र्च करता है। किराए की

ज़मीन और किराए के मज़दूरों के साथ एक किलो टमाटर उपजाने की लागत 8–10 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। इसलिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम की क़ीमत मिलने से किसानों की आय को भारी नुक़सान हो रहा है।

चाहे सब्जियां हों या तिलहन, मिर्च हो या चीनी, आदि फ़सलों के उत्पादकों को मूल्य की अत्यधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। टमाटर जैसी जल्द ख़राब होने वाली उपज के मामले में यह समस्या बहुत ज्यादा विकट हो जाती है, क्योंकि इन्हे लंबे समय तक संग्रहित करके नहीं रखा जा सकता, जब तक कि किसान के पास ठन्डे भंडारण घर की सुविधा उपलब्ध न हो। किसानों को व्यापारियों की रहमों–करम पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनकी फ़सलों को सस्ते दाम पर ख़रीद कर खुदरा बाज़ार में महंगे दाम पर बेच देते हैं। इस वजह से शहरों की मज़दूर–मेहनतकश आबादी, जो इन उपजों को खरीदती है उन्हे भरपूर आपूर्ति होने के बावजूद इसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन जब खुदरा बाज़ार में आपूर्ति कम होती है, तो वे आसमान को छूने वाली क़ीमतों का भुगतान करते हैं।

निस्संदेह, इस संकट का कारण शासक वर्ग द्वारा गारंटीकृत ख़रीद मूल्य पर किसानों की फ़सल को नहीं खरीदा जाना है। कृषि मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता इस परिस्थिति के लिए यह कहकर सफाई दे रहे हैं कि एक मौसम में क़ीमतें अगले मौसम में फ़सल की पैटर्न को प्रभावित करती हैं, इसलिये किसानों को 2020–21 में टमाटर की इतनी उपज करनी ही नहीं चाहिए थी!! यह केवल वर्तमान व्यवस्था की अराजकता को दर्शाता है। यह उत्पादन को व्यवस्थित करने और लागत और उपज की क़ीमतों को निर्धारित करने की आवश्यकता को दर्शाता है, ताकि किसानों को मानव अस्तित्व की गारंटी दी जा सके। यह 2022 या किसी अन्य वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने के झूठे वादों का भी स्पष्ट रूप से पर्दाफाश करती है।

अर्थव्यवस्था की दिशा उत्पादकों की भलाई को सुरक्षित करने की ओर नहीं है। इसके विपरीत, केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार ठीक इसका उल्टा काम कर रही है। किसान देश में कहीं भी बिना बाधाओं के अपनी उपज बेच सकेंगे के नाम पर, उनका असली उद्देश्य है इजारेदार निगमों को कृषि में प्रवेश करने में सक्षम बनाना। जिन परिस्थितियों ने लाखों किसानों को बर्बादी और आत्महत्या की ओर धकेला है, उन्हें और उसी दिशा में धकेला जा रहा है।

http://hindi.cgpi.org/21304

दिल्ली सरकार ने आशा मज़दूरों को वादा किए गए प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान नहीं किया

दिल्ली में लगभग 6,000 मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को अप्रैल 2021 से मासिक प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रोत्साहन भत्ता उनको, कोविड–19 के रोगियों को घर पर ही इलाज़ उपलब्ध कराने के लिए और नियंत्रण क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने के लिए दिया जाना था।

आशा कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारियों की तरह निश्चित वेतन नहीं मिलता। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान किया जाता है। कोविड–19 महामारी के दौरान उन्हें विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने का वादा किया गया था। सरकारी नियमों के अनुसार, घर में आइसोलेशन के तहत रह रहे कोविड–19 के रोगी के यहां जाकर मुआयना करने के लिये प्रत्येक बार के 100 रुपये और इसके अतिरिक्त, जलपान के लिए प्रति दिन के 100 रुपये का भुगतान एक आशा कार्यकर्ता को किया जाना है। प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) में किए गए सर्वेक्षण के लिए एक आशा कार्यकर्ता को एक दिन में 50 से कम घरों का सर्वेक्षण करने के लिए 500 रुपये का भुगतान किया जाना है। यह सब देखते हुए, एक आशा कार्यकर्ता महीने में कम से कम 3000–5000 रुपये कमा सकती थी।

आशा कार्यकर्ता भी अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (फ्रंट लाइन वर्कर्स) में से एक हैं, जो घर–घर सर्वेक्षण और दवा–किट वितरित करने, ऑक्सीजन का स्तर मापने, नियंत्रण क्षेत्रों की निगरानी करने और टीकों के बारे में जागरुकता फैलाने से लेकर, इस महामारी से संबंधित कई ज़िम्मेदारियों को निभाते आये हैं।

महामारी के बाद से इन श्रमिकों ने चौबीसों घंटे काम किया है, कभी–कभी रात को 10 बजे भी लोगों का फोन आने पर, मरीजों को उनके घर दवा देने के लिए गए हैं। सरकार ने उन्हें पी.पी.ई. किट तक नहीं दिया और कर्मचारी अपने पैसे से सैनिटाइज़र, दस्ताने और मास्क खरीद कर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं।

महामारी के मद्देनज़र आशा कार्यकर्ताओं के नियमित काम में गिरावट आई है। अधिकारियों का दावा है कि प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि नियमित काम, जिससे आशा कार्यकर्ता महामारी से पहले प्रोत्साहन भत्ता पाते थे, वह मार्च से फिर शुरू हो गया है। यह एक बहाना है, क्योंकि देश में महामारी की दूसरी लहर आई और आशा कर्मचारी एक बार फिर से उन्हीं ज़िम्मेदारियों से घिर गईं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल अगस्त में जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले श्रमिकों की मांगों के जवाब में 3,000 रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस साल महामारी की दूसरी लहर आई लेकिन सरकार ने 3,000 रुपये का भुगतान नहीं किया है ।

9 अगस्त, 2021 को संसद के सामने आशा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया

अपने अधिकारों की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता बार–बार सड़कों पर उतर रही हैं। उनमें से 70,000 आशा कार्यकर्ता, जून 2021 में महाराष्ट्र में ज्यादा वेतन, काम के नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर गए थे। अगस्त 2020 में 6 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने देश व्यापी हड़ताल की थी। पिछले एक साल में, आशा कार्यकर्ताओं ने गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों में कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन किए हैं।

दिल्ली की आशा कार्यकर्ताओं को भी सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कौन सा कार्यालय उन्हें उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान करेगा, जिन्हें निभाने के लिए उन्हें कहा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं के बारे में लिखा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

दिल्ली सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन न देने का कोई औचित्य नहीं है। श्रमिकों को भुगतान से इनकार करना, विशेष रूप से उन लोगों को, जिन्होंने महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिए गए आह्वान को बखूबी निभाया है, श्रमिकों के अधिकारों का घोर उल्लंघन है।

http://hindi.cgpi.org/21286

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

हिन्दोस्तान की सरकार ने 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शुरू की थी।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) एक सर्व–महिला स्वास्थ्य सेवा कार्यबल है जो हिन्दोस्तान में जन समुदायों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करती हैं। भले ही उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार "स्वास्थ्य कार्यकर्ता" के रूप में जाना जाता है, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स (अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता) के रूप में पहचाने जाने और उसके अनुसार, उनको उनकी बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए, उनका संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के दिशा–निर्देशों में कहा गया है कि आशा कार्यकर्ता एक 'माननीय स्वयंसेवक' होगी, उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा और उसका काम उसकी 'सामान्य आजीविका' को कोई नुक़सान नहीं पहुंचाएगा। कभी–कभी कुछ अतिरिक्त कार्यक्रमों के साथ, आशा कार्यकर्ताओं के काम का बोझ, सप्ताह में केवल चार दिन और प्रतिदिन सिर्फ दो–तीन घंटे होना चाहिए था। यह वर्गीकरण इस धारणा पर आधारित है कि आशा कर्मचारी का कार्य, कार्यकर्ता की मुख्य आजीविका नहीं बल्कि उसके अलावा एक अतिरिक्त ज़िम्मेदारी है। हालांकि, हक़ीक़त में यह देखा गया है कि अधिकांश आशा कार्यकर्ता सप्ताह में 25–28 घंटे काम कर रही हैं, और कहीं–कहीं, उससे भी अधिक समय तक। 2020 में यह पाया गया कि महामारी से संबंधित अतिरिक्त ज़िम्मेदारियों के कारण पूरे देश में आशा कार्यकर्ता सप्ताह के सातों दिन, क्षेत्र में औसतन 8–14 घंटे प्रतिदिन काम कर रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के तहत 60 से अधिक कार्य हैं जिनके लिए राज्य, आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन भत्ता निर्धारित कर सकते हैं। यह भत्ता, ओ.आर.एस. पैकेट, कंडोम या सैनिटरी नैपकिन जैसे सामान घर–घर में वितरित करने के लिए 1 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक (जैसे कि किसी दवा–प्रतिरोधी टीबी रोगी को उपचार और सहायता की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए) हो सकता है। 2018 में केंद्र सरकार ने नियमित और आवर्ती आशा गतिविधियों के एक निश्चित सेट के लिए प्रोत्साहन भत्ता को दोगुना कर दिया – 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया।

'कर्मचारियों' के रूप में वर्गीकृत न होने के कारण, आशा कर्मचारियों के पास किसी भी सामाजिक सुरक्षा (बीमारी की छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पेंशन, पी.एफ., आदि) के अधिकार नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें तदर्थ, अस्थायी कल्याण उपायों पर निर्भर रहना पड़ता है।

रोज़गार में भारी गिरावट

पृष्ठ 4 का शेष

इजारेदार पूंजीवाद के चरण में पूंजीवाद, छोटे पैमाने के उत्पादकों और व्यापारियों को लगातार और समय–समय पर कंगाल करता रहता है। इस प्रकार जैसे–जैसे इजारेदार पूंजीवाद बढ़ता है, वह अपने द्वारा सृजित नई नौकरियों की तुलना में कहीं अधिक नौकरियों और स्व–रोज़गारों के स्रोतों को नष्ट कर देता है।

वर्तमान समय में एक विशिष्ट अतिरिक्त कारक यह भी है कि पूंजीपतियों ने कोविड महामारी का उपयोग श्रम के शोषण को बढ़ाने के लिए किया है, मज़दूरों की संख्या में और कटौती की है तथा हर दिन प्रत्येक मज़दूर का अधिक शोषण करके और भी अधिक उत्पादन निकाला है।

निष्कर्ष

बेरोज़गारी की समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान पूंजीवाद को समाजवाद में तब्दील करना है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों को पूंजीवादी निजी संपत्ति से समाजवादी आम संपत्ति में बदलने से आर्थिक निर्णयों पर निजी मुनाफ़े के मक़सद का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। मुट्ठीभर अमीरों के मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए उत्पादन करने की बजाय, सामाजिक उत्पादन को देश की पूरी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में मोड़ा जा सकता है।

सभी लोगों की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बड़े विस्तार की आवश्यकता होगी। काम करने की उम्र की सभी महिलाओं और पुरुषों को जो काम करने के लिए उत्सुक और तैयार हैं, उन सभी को नौकरी मिलेगी जिसके द्वारा वे सभी के लिए ज़रूरी उत्पादक वस्तुएं उपलब्ध कराने के सामूहिक प्रयास में अपना योगदान दे सकेंगे। जैसे–जैसे श्रम की उत्पादकता, समय के साथ बढ़ती है, पूर्ण रोज़गार बनाए रखते हुए कार्य दिवस के घंटों को क्रमशः कम किया जा सकता है।

http://hindi.cgpi.org/21308

Internet Edition
Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Sept, 2021 Date of publish - 16 Sept, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020।
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

एम्स के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस दिया

एम्स की नर्स यूनियन ने एम्स की कर्मचारी यूनियन – एम्स एंड ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ एम्स के साथ मिलकर, प्रशासन को संयुक्त हड़ताल का नोटिस दिया है और कहा है कि उनकी मांगें पूरी न होने पर 25 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जायेगी।

एम्स के कर्मचारियों ने यह स्पष्ट किया कि यह क़दम उनका आखिरी उपाय होगा। दिल्ली के एम्स में सभी कैडर समूहों ने अपनी 47 मांगों की सूची प्रस्तुत करते हुए, कहा है कि उनकी मांगें दशकों से लंबित हैं और अब तक प्रशासन की ओर से कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिली है। प्रशासन के साथ कई बार बैठक करने के बावजूद कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। मुख्य रूप से वेतनमानों और भत्तों में समानता, बोनस और अन्य लाभों और कर्मचारियों के कार्यभार में कमी की मांगें हैं।

एम्स के नियमावली के नियम 35 के अनुसार, एम्स के सभी कर्मचारी समान वेतनमान और भत्तों के हक़दार हैं जो केन्द्र सरकार में तुलनीय स्थिति के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है। यही वह समानता है जिसकी मांग कर्मचारी कर रहे हैं। हड़ताल के नोटिस में कहा गया है कि यदि इसका समाधान कर दिया जाता तो नई दिल्ली के एम्स कर्मचारियों की अधिकांश शिकायतें पैदा ही नहीं होतीं।

उनकी अन्य महत्वपूर्ण और लंबे समय से चली आ रही मांग नर्सों और अन्य कर्मचारियों के पदों की संख्या को बढ़ाने की रही है। अस्पताल में जहां कई नये केन्द्र बनाए

गए हैं, वहीं इन सेवाओं के लिए पदों की संख्या जस की तस बनी हुई है। इसका नतीजा है कि कर्मचारियों को अत्यधिक काम के दबाव का सामना करना पड़ता है, दुखद रूप से वे जानते हैं कि इससे मरीजों की सेवा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। एम्स में 30 वर्षों से कोई कैडर समीक्षा नहीं हुई है, जबकि नियमन में कहा गया है कि इसे हर 5 साल में आयोजित किया जाना चाहिए।

यूनियन की अन्य मांगों में नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में प्रशासन द्वारा किए गए योगदान की समीक्षा, अस्पताल के आवास में बढ़ोतरी, अस्पताल में ई.एच.एस. सुविधाओं में सुधार शामिल हैं। ई.एच.एस. (पारिवारिक चिकित्सा विभाग) की स्थापना संस्थान के कर्मचारियों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य की देखभाल कि "निवारक, प्रोत्साहन, और उपचारात्मक पहलुओं" की देखभाल के लिए की गई थी।

कोविड महामारी के दौरान कर्मचारियों ने बहुत कठिन परिस्थितियों का अनुभव किया; उन्होंने अपने कई सहयोगियों को खो दिया है। उन्हें लगता है कि इसमें से बहुत कुछ कम किया जा सकता था और रोका जा सकता था, अगर उनपर काम की शर्तें मांगों के अनुरूप होतीं।

जब भी स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल का नोटिस देते हैं तो प्रशासन उन्हें ब्लैकमेल करता है कि वे अपने मरीजों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। मुख्य रूप से ऐसा महामारी के दौरान हुआ है। हड़ताली कर्मचारियों ने समझाया कि उन्होंने दिसंबर, 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार हड़ताल रोक दी थी। उस समय एम्स प्रबंधन ने कोर्ट से वादा किया था कि उनकी मांगो पर गौर किया जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

इस तरह की निष्क्रियता और झूठे वादों ने एम्स की नर्सों और अन्य कर्मचारियों को हड़ताल का नोटिस देने के लिए मजबूर किया है। एक तरफ सरकार महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा की सराहना करती है, लेकिन दूसरी ओर, यह उनके काम की स्थिति और उन्हें स्वस्थ रहने और अपने कर्तव्य को जारी रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की परवाह नहीं करती है। इस तरह के अन्याय के सामने प्रशंसा और धन्यवाद की सभी घोषणाओं का कोई फ़ायदा नहीं है।

http://hindi.cgpi.org/21323

शिक्षा मंत्रालय की परियोजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को निस्सहाय छोड़ा :

नई दिल्ली के शास्त्री भवन पर विरोध प्रदर्शन

आई.आई.टी. जैसे तकनीकी संस्थानों के स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय के "तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्यक्रम" (टी.ई.क्यू.आई.पी.) के लिए बतौर शिक्षक नियुक्त किया गया था। लेकिन परियोजना के ख़त्म हो जाने पर उनकी नियुक्ति को बतौर शिक्षक आगे नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल वे परियोजना संस्थानों में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर नई दिल्ली के शास्त्री भवन पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और आठ उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के

साथ मिलकर टी.ई.क्यू.आई.पी. की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य था कि इन राज्यों में मौजूदा इंजीनियरिंग कॉलेजों को संसाधन और उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक प्रदान किए जाएं।

ये चयनित शिक्षक जनवरी 2018 से संबंधित संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किये गये थे। परियोजना के ख़त्म होने पर सभी संस्थानों में इन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए थी। इस परियोजना की कार्यान्वयन योजना के एक खंड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि परियोजना के तहत वित्त पोषण "राज्य सरकारों के साथ एक समझौते पर आधारित होगा कि परियोजना निधि का उपयोग करके भर्ती किए गए शिक्षकों को जिनका प्रदर्शन इसके दौरान अच्छा रहेगा, उन्हें परियोजना के समाप्त होने के बाद नियुक्त किया जाएगा बाकी सभी अपरिवर्तित रहेंगे"।

इन सहायक शिक्षकों को संस्थानों में पूर्णकालिक शिक्षक बतौर नियुक्त करने की बजाए, उन्हें अतिथि शिक्षकों के पद दिए जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जो प्रति महीने ज्यादा से ज्यादा 21,000 रुपए होता है। वर्तमान में इस परियोजना के तहत इन शिक्षकों का वेतन प्रति महीना 70,000 रुपए है।

सभी शिक्षक बेहद नाराज और गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने उद्योगों में नौकरियों के अन्य अवसरों को और शिक्षण की पिछली नौकरियों को इस उम्मीद में छोड़ दिया था कि उन्हें स्थाई नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अब उन्हें इससे वंचित कर दिया गया है और अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने उन वादों पर भरोसा किया था कि परियोजना के समाप्त हो जाने पर उन्हें परियोजना संस्थानों में नौकरियां दी जाएंगी।

शिक्षा मंत्रालय साफ तौर पर अपने वादे से पीछे हट रहा है। प्रत्येक राज्य सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन की योजना के तहत काम सुनिश्चित करने की बजाए अपने हिसाब से निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया गया है। यह साफ तौर पर राज्य और केंद्र सरकार के लापरवाह रवैये को दर्शाता है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त मौजूदा शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जा रहा है, तब यह दावा कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जा रहा है यह साफ झूठ है। इस पूरे कार्यक्रम का सही उद्देश्य है परियोजना के दौरान विश्व बैंक से पैसा लेना। पैसे मिल जाने के बाद परियोजना को जारी रखने, नौकरियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने या तकनीकी शिक्षकों को पर्याप्त वेतन देने की कोई कोशिश नहीं है।

शिक्षकों की मांगें जायज़ हैं और उनका समर्थन किया जाना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21299

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें। भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

पाठकों से अनुरोध

पाठक हमारे बैंक खाते में आनलाईन पैसे भेज रहे हैं। जो पाठक पैसे भेजते हैं, वे अपने नाम और पते की पूरी जानकारी दें। हमारा वाट्सएप्प नंबर-9868811998 और **मोबाइल नंबर** 9810167911 है।